

तार : पर्यावरण

GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं०

Ref. No.

106/NOC-733D/20

दिनांक 22/7/20

Dated :20

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
सीतापुर।

विषय:- मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन प्रा० लि० द्वारा खसरा सं०-1447 स्थित ग्राम-गोबर्धनपुर तहसील-बिसवा, जिला-सीतापुर पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

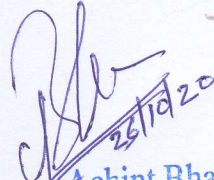
कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बीस-सी०एफ०/अना०-भारत पेट्रोल कार० लि०-गोबर्धनपुर/श०अनु०/922 दिनांक- 04 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन प्रा० लि० द्वारा खसरा सं०-1447 स्थित ग्राम-गोबर्धनपुर तहसील-बिसवा, जिला-सीतापुर पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये अनापत्ति हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रोजेक्ट से मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन प्रा० लि० द्वारा खसरा सं०-1447 स्थित ग्राम-गोबर्धनपुर तहसील-बिसवा, जिला-सीतापुर पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानकों की दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किये जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आख्या वांछित अनुमतियों को प्रभावित नहीं करेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त हेतु बोर्ड से पृथक रूप से सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।

भवदीय

(डा० रम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


22/7/20
Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

क्षेत्रीय अधिकारी